

Copy to:- Computer Section for uploading
in the website.

Encl: As above

संयुक्त आर्युक्त, सीमा शुल्क, बंगलूर
(विभिन्न कमर उपस्थान)
18.4.17
बिना उपाया

विषय: राजभाषा कार्यालयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के संबंध में।
Sub: Annual Programme 2017-18 regarding Official language-reg.
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष के लिए जारी राजभाषा
कार्यालयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम एतद्वारा प्रेषित है। वार्षिक कार्यक्रम में क्षेत्र ग के लिए
निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास करें।
The copy of the Annual Programme 2017-18 regarding the implementation
of Official Language issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs,
Official Language Department, is enclosed herewith. Efforts may be taken to achieve
the targets fixed for the Region C of the Annual Programme.

महोदय

1. प्रधान आर्युक्त, सीमा शुल्क एयर पोर्ट एवं एयर कारगो
आर्युक्तालय बंगलूर/ Principal Commissioner, ACC and Air Cargo
आर्युक्त, सीमा शुल्क, बंगलूर,
3 आर्युक्त, अधीनस्थ, सीमा शुल्क, बंगलूर,
Commissioner, City Customs, Bangalore
2. आर्युक्त सिटी आर्युक्तालय बंगलूर
आर्युक्तालय बंगलूर/ Principal Commissioner, ACC and Air Cargo
- 3 आर्युक्त, अधीनस्थ, सीमा शुल्क, बंगलूर,
Commissioner, City Customs, Bangalore
- आर्युक्त सीमा शुल्क मंगलूर
The Commissioner, Customs Appeals, Bangalore
- प्रतिनिधि / Copy to: मध्य/संयुक्त/उप/सहायक आर्युक्त, सीमा शुल्क,
Addl./Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Customs,
मध्य आर्युक्त कार्यालय, ए.सी.सी., आई.सी.डी., सी.सी.डी., एयरपोर्ट, पी.ए.डी.
CCO, ACC, ICD, Airport, Mangalore
- मध्य लेखाधिकारी, सी.श.सू.आ.का / मध्यालय, /CAO, Customs, CCO/HQRS,
मध्यालय के सभी अंगभूत, बंगलूर / All Sections of HQRS, Bangalore.

दिनांक 18.4.2017

सी.सू.सी. II /39/11/2017 सी.शु.हिंटी

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS, C.R. BUILDING,
P. B. NO. 5400, QUEENS ROAD, BANGALORE 560 001.

बंगलूर 560 001

मध्य आर्युक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क केंद्रीय राजस्व भवन, पी.बी.नं. 5400, क्वीन्स रोड,



Annual Programme for 2017-18 for use of Hindi

S.NO	DETAILS OF WORK	'A' REGION	'B' REGION	'C' REGION
1.	Originating Correspondence in Hindi (including E-mail, Fax, Wireless Messages etc.)	1. From A to A 100%	1. From B to A 90%	1. From C to A 55%
		2. From A to B 100%	2. From B to B 90%	2. From C to B 55%
		3. From A to C 65%	3. From B to C 55%	3. From C to C 55%
		4. From Region A to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region 100%	4. From Region B to Offices Individuals in States / UTs of A & B region 100%	4. From Region C to Offices/ Individuals in States / UTs of A & B region 85%
2.	Letters received in Hindi to be answered in Hindi	100%	100%	100%
3.	Noting in Hindi	75%	50%	30%
4.	Training Programme through Hindi Medium	70%	60%	30%
5.	Recruitment of employees utilized for Hindi Typing & Stenographers	80%	70%	40%
6.	Dictation in Hindi/ Direct Typing on Key-Board (self and by the Asstt.)	65%	55%	30%
7.	Hindi Training (Language, Typing/ Stenography)	100%	100%	100%
8.	Preparation of Bilingual Training Material	100%	100%	100%
9.	Expenditure for the purchase of Hindi books etc., including digital matters i.e., Hindi e-books, CD/DVD, Pen Drive including amount incurred on Translation in Hindi from English and Regional Languages out of the total Library grant excluding journals and standard reference books.	50%	50%	50%
10.	Purchase of all electronic equipments, including computers in bilingual form.	100%	100%	100%
11.	Website	100% (bilingual)	100% (bilingual)	100% (bilingual)
12.	Citizen Charter and display of Public Interface Information Board	100% (bilingual)	100% (bilingual)	100% (bilingual)

25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)	13. (i) Inspection by Ministries/ Departments/ Offices of their offices located outside their Headquarters & by the officers (DS/Dir/JS) of DOL(% of Offices)
25% (minimum)	25% (minimum)	25% (minimum)	(ii) Inspections of sections at Headquarters.
At least one inspection in a year.	{iii} Joint inspections by the officers concerned & those of the Deptt. of Official Language of Foreign based Undertakings/ Offices etc. owned or controlled by the Centra Government.	14. Meetings regarding Official Language	{A} Hindi Salahakar Samiti
		{B} Town Official Language Implementation Committee.	02 meetings in a year (One meeting every 6 months)
04 meetings in a year (One meeting every quarter)	{C} Official Language Implementation Committee.	15. Translation of Codes, Manuals, Forms, Procedural literature.	100%

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल प्रचारण (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के के राज्य/क्षेत्र राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के के राज्य/क्षेत्र राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के के राज्य/क्षेत्र राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 85%
2.	हिंदी में प्रदान पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आर्थोपेडिक को भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिस्टेंस/की बोर्ड पर सीई टंकण	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आर्थोपेडिक)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जानल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छात्रक पुस्तकालय के कुल अर्जमान में से डिजिटल वर्कशुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, वेबसाइट तथा अंतर्जाल और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अर्जमान पर व्यव की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इंफार्मेटिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12.	भाषािक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)

25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)
100%	वर्ष में 2 बॉन्ड वर्ष में 2 बॉन्ड (प्रति छमाही एक बॉन्ड) वर्ष में 4 बॉन्ड (प्रति तिमाही एक बॉन्ड)	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	100%
25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)
100%	वर्ष में 2 बॉन्ड वर्ष में 2 बॉन्ड (प्रति छमाही एक बॉन्ड) वर्ष में 4 बॉन्ड (प्रति तिमाही एक बॉन्ड)	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	100%
25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)	25%(प्रदानम)
100%	वर्ष में 2 बॉन्ड वर्ष में 2 बॉन्ड (प्रति छमाही एक बॉन्ड) वर्ष में 4 बॉन्ड (प्रति तिमाही एक बॉन्ड)	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	100%

13. (i) संरक्षित/विभागी और कार्यालय तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि.दे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)
- (ii) मुख्यालय में स्थित अंगभोगों का निरीक्षण
- (iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपकर्मों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण
14. राजभाषा संबंधी बॉन्ड (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यालय समिति (ग) राजभाषा कार्यालय समिति
15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अंगवाद